font>

Title: Need to provide 15% extra covered area to the residents of Geeta Colony in East Delhi.

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र पूर्वी दिल्ली की गीता कालोनी जो एक रिहेबिलिटेशन कालोनी है। यहां के लोग पार्टीशन के बाद आकर बसे थे और केन्द्र सरकार ने इनको जगह दी थी। परिवार बढ़ने के कारण कुछ मकानों में अतिरिक्त निर्माण कर लिया है। मतीन नाम के एक आदमी ने जो बाड़ा हिन्दू राव का रहने वाला है और ताज इन्क्लेव में रहता है, ने एक पी.आई.एल. हाई कोर्ट में लगाया है, जिसकी सरकार ने ठीक ढंग से पैरवी नहीं की और वहां के 24 मकानों को तोड़ा जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि जैसे डी.डी.ए. के फ्लैटों में 15 प्रतिशत के कवर्ड एरिया की छूट दी गई है, उसी तरह यहां भी छूट देकर इनको बचाया जाए। ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Adhir Chowdhury.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Dr. Raghuvansh Prasad Singh.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Shri Mahender Singh Pal.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Dr. Girija Vyas.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Shri Rameshwar Rudy.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Shri Bherulal Meena.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Shri Ravindra Kumar Pandey.

...(*Interruptions*)